SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Assistant Town Planner (Rajasthan)

सहायक नगर नियोजक वह अधिकारी है जो यह तय करने में लगा रहता है कि शहर किस दिशा में और किस ढंग से बढ़े। काम में मास्टर प्लान एवं ज़ोनल योजनाएँ बनाना, भूमि उपयोग तय करना, नई आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जाँच, ले-आउट एवं भवन...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-town-planner

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

सहायक नगर नियोजक वह अधिकारी है जो यह तय करने में लगा रहता है कि शहर किस दिशा में और किस ढंग से बढ़े। काम में मास्टर प्लान एवं ज़ोनल योजनाएँ बनाना, भूमि उपयोग तय करना, नई आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जाँच, ले-आउट एवं भवन मानचित्रों का परीक्षण, सड़क एवं यातायात की योजना, तथा अनधिकृत निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों से जुड़े प्रकरणों पर तकनीकी राय देना आता है। यह पद अभियांत्रिकी अथवा वास्तुकला की डिग्री से शुरू होता है, पर उस पर नगर नियोजन का स्नातकोत्तर आवश्यक है — यही इसे सिविल अभियंता के पद से अलग करता है। अभियंता यह देखता है कि निर्माण कैसे हो; नगर नियोजक यह देखता है कि निर्माण कहाँ, कितना और किसके लिए हो। राजस्थान में जिस गति से जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर जैसे शहर फैले हैं, यह प्रश्न हर वर्ष अधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	अभियांत्रिकी (सिविल) / वास्तुकला / नियोजन में स्नातक + नगर, क्षेत्रीय अथवा यातायात नियोजन में स्नातकोत्तर (एम.टेक. प्लानिंग अथवा एम.प्लान.) — सेवा नियम 1966, अनुसूची
भर्ती संस्था	राजस्थान लोक सेवा आयोग (आर.पी.एस.सी.), अजमेर — विभाग: नगरीय विकास एवं आवासन / नगर नियोजन
आयु-सीमा	20 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को (सेवा नियम 1966) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर सेवा नियमों में नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	75% सीधी भर्ती, 25% पदोन्नति से

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- शहर, नक़्शे एवं यह प्रश्न कि जगह का उपयोग कैसे हो
- अभिकल्प एवं विश्लेषण दोनों का मेल

- सार्वजनिक हित एवं नीति से जुड़ा तकनीकी काम

क्षमताएँ

- स्थानिक कल्पना — नक़्शे को ज़मीन पर और ज़मीन को नक़्शे पर देख पाना
- परस्पर विरोधी हितों के बीच तकनीकी राय पर टिके रहना
- आँकड़ों एवं जनसंख्या-प्रवृत्ति से निष्कर्ष निकालना

ज़रूरी कौशल

- मास्टर प्लान एवं ज़ोनल विकास योजना बनाना
- ले-आउट, उप-विभाजन एवं भवन मानचित्रों का परीक्षण
- नगरीय विकास एवं भवन विनियमों की जानकारी
- सर्वेक्षण, जनसंख्या आँकड़े एवं प्रतिवेदन लेखन
- भूमि उपयोग नियोजन एवं भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण
- जी.आई.एस., ऑटोकैड एवं मानचित्रण सॉफ़्टवेयर
- यातायात एवं परिवहन नियोजन

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 उत्तीर्ण करें — अभियांत्रिकी अथवा वास्तुकला की राह के लिए विज्ञान (भौतिकी, रसायन, गणित) आवश्यक है। नियोजन अनुसंधान की अलग धारा के लिए कला संकाय से भी आगे बढ़ा जा सकता है; वह नीचे अलग बिंदु में है।
2. सिविल अभियांत्रिकी में बी.टेक., अथवा बी.आर्क. (वास्तुकला), अथवा बी.प्लान. (नियोजन) की डिग्री लें।
3. नगर, क्षेत्रीय अथवा यातायात एवं परिवहन नियोजन में स्नातकोत्तर करें — एम.टेक. (प्लानिंग) अथवा एम.प्लान. (अर्बन / रीजनल / ट्रैफ़िक एंड ट्रांसपोर्ट / एनवायरनमेंट)। यही वह डिग्री है जो इस पद को सिविल अभियंता के पदों से अलग करती है, और यही इसका असली प्रवेश-द्वार है।
4. नियमों में एक दूसरा रास्ता भी दर्ज है — नियोजन अथवा वास्तुकला में स्नातक के साथ नगर नियोजन के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। यह रास्ता उनके लिए है जिनके पास स्नातकोत्तर नहीं है पर क्षेत्र का कार्य-अनुभव है।
5. नियोजन अनुसंधान (प्लानिंग रिसर्च) एक अलग धारा है और उसकी शर्त भिन्न है — भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर, और उसके साथ नगर / क्षेत्रीय नियोजन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा। आयोग ने इसकी भर्ती अलग विज्ञप्ति से निकाली है ("ASST. TOWN PLANNER (PR) 2011"), इसलिए यह काग़ज़ी भेद नहीं, वास्तविक अलग रास्ता है।
6. आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तथा हिन्दी का देवनागरी लिपि में कार्यसाधक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी नियमों में अनिवार्य शर्त है।

प्रमुख परीक्षाएँ

- भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग करता है। पद 75% सीधी भर्ती एवं 25% पदोन्नति से भरा जाता है — पदोन्नति नगर नियोजन सहायक अथवा प्रधान ड्राफ़्ट्समैन के पद पर 2 वर्ष के अनुभव पर होती है। इसका अर्थ यह है कि हर चौथा पद विभाग के भीतर से भरा जाता है, इसलिए सीधी भर्ती के विज्ञापित पद कुल रिक्तियों से कम रहते हैं।
- योग्यता की शर्त सेवा नियमों की अनुसूची के स्तंभ 4 से ली गई है और वह पाठ प्रतिस्थापित-किया-गया (substituted in) चिह्न के साथ है, अर्थात् वही वर्तमान है; उससे पुराना पाठ — "Degree in Architecture ..." — नीचे फुटनोट में उद्धृत है और लागू नहीं है।
- ध्यान दें — यह पद सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूचियों में नहीं है, इसलिए इसके लिए सी.ई.टी. उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं।
- आयोग की विज्ञप्ति-सूची से इस पद की भर्ती के तीन चक्र पुष्ट होते हैं — "ASST. TOWN PLANNER 2018" (नवीनतम दस्तावेज़ 13-09-2019), "ASST. TOWN PLANNER 2022" (04-10-2022) तथा "ASST. TOWN PLANNER (PR) 2011"। भर्ती नियमित अंतराल पर नहीं आती, यह इन्हीं तिथियों से स्पष्ट है।
- एक बात स्पष्ट रखें: सिविल अभियांत्रिकी की डिग्री अकेले इस पद के लिए पर्याप्त नहीं है। नगर नियोजन का स्नातकोत्तर साथ होना आवश्यक है। यदि आपके पास केवल बी.टेक. सिविल है तो कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता की राह उपयुक्त है, यह नहीं।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Malaviya National Institute of Technology (MNIT) — B.Arch and M.Plan / M.Tech Planning — जयपुर, राजस्थान (https://mnit.ac.in/)

- MBM University, Jodhpur — Civil Engineering and Architecture — जोधपुर, राजस्थान (https://mbm.ac.in/)
- School of Planning and Architecture (SPA) — the country's specialist government planning schools — नई दिल्ली, भोपाल एवं विजयवाड़ा (https://spa.ac.in/)
- Government Engineering Colleges, Rajasthan — B.Tech Civil — जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर (https://dte.rajasthan.gov.in/)

ऑनलाइन

- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान — यही वह विभाग है जिसमें यह पद आता है (https://urban.rajasthan.gov.in/)
- Town Planning Department, Rajasthan — master plans of the state's cities — राज्य के शहरों के मास्टर प्लान यहाँ प्रकाशित होते हैं (https://urban.rajasthan.gov.in/)
- Institute of Town Planners, India — the profession's national body — नई दिल्ली (https://itpi.org.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — नगर नियोजन एवं जी.आई.एस. के निःशुल्क पाठ्यक्रम — भारत सरकार (https://swayam.gov.in/)
- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

बी.टेक., बी.आर्क. एवं बी.प्लान. राजकीय संस्थानों में उपलब्ध हैं और वहाँ का शुल्क निजी महाविद्यालयों से बहुत कम है। स्नातकोत्तर नियोजन की पढ़ाई एम.एन.आई.टी. जयपुर एवं स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जैसे सरकारी संस्थानों में होती है, जहाँ गेट के अंकों पर प्रवेश मिलने पर छात्रवृत्ति भी मिल सकती है — यह इस राह का सबसे व्यावहारिक बिंदु है, क्योंकि पाँच-छह वर्ष की पढ़ाई का खर्च वहीं सबसे अधिक घटता है। जी.आई.एस. एवं ऑटोकैड का प्रशिक्षण स्वयं पोर्टल एवं अन्य सरकारी मंचों पर निःशुल्क उपलब्ध है। परीक्षा शुल्क कुछ सौ रुपये है और आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

नगर नियोजन विभाग के ज़िला एवं संभाग कार्यालय, नगर विकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण (जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण), नगर निगम एवं नगर परिषद। काम का बड़ा भाग कार्यालय में नक़्शों एवं प्रकरणों पर होता है, और उसके साथ स्थल निरीक्षण भी चलता रहता है।

कार्य-संस्कृति

यह पद तकनीकी राय देने का है, और वह राय प्रायः ऐसे प्रश्नों पर देनी होती है जिनमें बड़े आर्थिक हित जुड़े रहते हैं — भूमि उपयोग परिवर्तन, ले-आउट स्वीकृति, अवैध कॉलोनियों का नियमन। इसलिए दबाव इस काम का स्थायी अंग है, और उसी कारण लिखित अभिलेख एवं नियम-संदर्भ का महत्त्व यहाँ बहुत अधिक है: जो राय नियम एवं मानचित्र के हवाले से लिखी गई हो, वह टिकती है। दूसरी ओर इस पेशे की संतुष्टि दीर्घकालिक है — मास्टर प्लान बीस वर्ष के लिए बनता है, और जिस सड़क, पार्क अथवा हरित पट्टी की जगह आज कागज़ पर तय हुई, वह अगली पीढ़ी को दिखेगी। यह उन थोड़े सरकारी पदों में है जहाँ काम का परिणाम शहर के नक़्शे पर स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है।

कौन नौकरी देता है

- नगर नियोजन विभाग, राजस्थान
- विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास
- राजस्थान आवासन मंडल
- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
- नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाएँ

माँग (2026)

राजस्थान तेज़ी से शहरीकृत हो रहा है और मास्टर प्लान बनाने, संशोधित करने एवं लागू कराने का काम राज्य के हर बड़े शहर में चल रहा है — इसलिए इस संवर्ग की आवश्यकता बनी रहती है। पर संवर्ग छोटा है और भर्ती नियमित नहीं: आयोग की सूची में इस पद के चक्र 2011, 2018 एवं 2022 पर दिखते हैं। 2022 की विज्ञप्ति (क्रमांक 10/परीक्षा/A.T.P/EP-I/2022-23, दिनांक 04-10-2022) में कुल 43 पद थे — यह संख्या इस संवर्ग के आकार का अंदाज़ा देती है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि केवल इसी पद की प्रतीक्षा में रहना उचित नहीं — नगर नियोजन का स्नातकोत्तर विकास प्राधिकरणों, आवासन मंडल, नगर निगमों, परामर्शदात्री संस्थाओं एवं अन्य राज्यों की नियोजन सेवाओं में भी चलता है, और यही योग्यता निजी क्षेत्र की नियोजन एवं अवसंरचना परियोजनाओं में भी काम आती है। यह भी ध्यान रखें कि 25% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, इसलिए विज्ञापित रिक्तियाँ कुल पदों से कम रहती हैं, और पदों की संख्या विभाग की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. नगर नियोजन सहायक / प्रधान ड्राफ़्ट्समैन — अधीनस्थ सेवा का पद, जहाँ से 2 वर्ष के अनुभव पर सहायक नगर नियोजक के 25% पदों पर पदोन्नति होती है
2. सहायक नगर नियोजक — 75% सीधी भर्ती से; इसी पद पर 5 वर्ष का अनुभव अगली पदोन्नति की शर्त है
3. उप नगर नियोजक एवं वरिष्ठ नगर नियोजक स्तर के पद
4. मुख्य नगर नियोजक — विभाग का सर्वोच्च तकनीकी पद

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹60,000 – ₹80,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹95,000 से अधिक (भत्तों सहित, वरिष्ठ एवं मुख्य नगर नियोजक स्तर पर)

1966 के सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया गया, इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया — वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा। यह स्नातकोत्तर योग्यता वाला राजपत्रित स्तर का पद है, इसलिए इसका वेतनमान केवल स्नातक माँगने वाले पदों से ऊपर रहता है। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- काम का परिणाम शहर के नक़्शे पर दीर्घकाल तक दिखता है
- योग्यता विशिष्ट है, इसलिए प्रतिस्पर्धा सामान्य स्नातक-स्तरीय पदों जितनी विशाल नहीं
- वही डिग्री विकास प्राधिकरणों, अन्य राज्यों एवं निजी क्षेत्र में भी चलती है
- अभिकल्प एवं विश्लेषण दोनों का काम, केवल एक नहीं

चुनौतियाँ

- स्नातक के बाद स्नातकोत्तर भी आवश्यक — यह पाँच से छह वर्ष की पढ़ाई है
- भर्ती अनियमित है; आयोग की सूची में चक्र 2011, 2018 एवं 2022 पर हैं
- भूमि एवं निर्माण से जुड़े प्रकरणों में हितों का दबाव इस काम का स्थायी अंग है
- संवर्ग छोटा है, इसलिए पदोन्नति के अवसर सीमित एवं धीमे रहते हैं

9 स्रोत व आगे पढ़ें

1. कार्मिक विभाग, राजस्थान — राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/2023020101657680091715town1966.pdf

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग — विज्ञप्तियाँ — https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements

3. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान — https://urban.rajasthan.gov.in/

4. इंस्टिट्यूट ऑफ़ टाउन प्लानर्स, इंडिया — https://itpi.org.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in